20 अन्य स्त्रोतो से प्राप्त आय
Income from Other Sources

20.1 अन्य स्त्रोतों से प्राप्त आयः

जब आय किसी अन्य शीर्ष (मकान सम्पत्ति, वेतन, व्यापार अथवा पेशे, पूंजी लाभ) के अंतर्गत कर योग्य नही हो, तो सामान्यतया उसे धारा 56 के तहत इस शीर्ष में लिया जाता है। जिसमें मुख्यतः निम्न शामिल हैं:

(1) दिनांक 01.09.2004 के बाद, गैर रिश्तेदारों से प्राप्त रू. 25 हजार (यह सीमा दिनांक 14.07.2006 से बढ़ाकर 50,000 कर दी गई है) से अधिक के तोहफे, प्राप्त करने वाले के लिए करयोग्य होगा।

(2) ब्याज (Interest) :– बैंक/पोस्ट ऑफिस/अन्य संस्थानों में किये गये निवेश जैसे– आवर्ति/सावधि जमा, राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC), किसान विकास पत्र राष्ट्रीय बचत योजना (NSS) तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर बाण्ड आदि से प्राप्त (Due) (Generally Calculated on Accural basis) तथा आयकर के रिफंड से प्राप्त ब्याज।

(3) किसी मशीनरी, प्लान्ट, व्यावसायिक/औद्योगिक भवन आदि के किराये पर देने से प्राप्त आय।

(4) फैमिली पेंशन योजना के तहत, मृतक कर्मचारी (सेना के कर्मचारी को छोड़कर) के आश्रित को प्राप्त, पेंशन की राशि।

(5) घुड़दौड़ से प्राप्त आय, लॉटरी, वर्ग पहेली, टी.व्ही. गेम आदि से प्राप्त आय।

(6) अन्य – खाली भूमि से प्राप्त किराया, राज्य सभा, लोक सभा और राज्य विधान सभा के सदस्यों को प्राप्त वेतन, रायल्टी से प्राप्त आय, क्रिकेट खिलाड़ियों की आय, परीक्षक, पर्यवेक्षक के रूप में प्राप्त पारिश्रमिक, फर्नीचर किराए से प्राप्त राशि आदि।

(7) पोस्ट ऑफिस, LIC, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया, म्यूचूअल फंड के एजेन्टों को प्राप्त कमीशन से आय।

(8) संपत्ति के विक्रय हेतु बयाने के रूप में प्राप्त राशि, जो बाद में किसी कारणों से क्रेता को देय न हो और संपत्ति का विक्रय किसी कारणों से निरस्त हो गया हो।

20.2 धारा 57 के तहत उपरोक्त आय पर मान्य कटौतियॉ

(1) ब्याज या लाभांश या अन्य आय को प्राप्त करने में की गई खर्च की राशि तथा निवेश हेतु लिए गए उधार पर देय ब्याज ।

(2) मशीनरी, प्लाण्ट, व्यावसायिक/आद्योगिक भवन आदि के संदर्भ में मरम्मत, बीमा तथा ह्रास (Depreciation) के लिए खर्च की राशि कटौती योग्य होगी।

(3) फैमिली पेंशन योजना के तहत, वर्ष के दौरान प्राप्त पेंशन का, 1/3 भाग या, 15,000 रू. जो कम हो, की कटौती मान्य।

20.3 लाभांश (Dividend):

धारा 10(35) के तहत अधिसूचित म्यूचूअल फंड या UTI से प्राप्त लाभांश (Dividend) तथा धारा 10(34) के तहत घरेलु कंपनियों से प्राप्त लाभांश (Dividend) निवेशक के लिए पूर्णतः कर मुक्त होंगें।

20.4 ब्याज (Interest):

धारा 56(2) के अनुसार यदि लेखा पद्धति वास्तविक प्राप्ति (Receipt basis) के आधार पर अपनाई गई हो, तो ब्याज पर कर भी वास्तविक प्राप्ति के पश्चात ही देय होगा अन्यथा की स्थिति में, ब्याज देय होने के आधार (Due Basis) पर कर योग्य होगा।

गिफ्ट GIFT पर आयकर के प्रावधान

☞ किसी व्यक्ति या संयुक्त हिन्दू परिवार (HUF, Individual) को दिनांक 01.09.2004 के बाद निर्देशित रिश्तेदारों के अलावा किसी अन्य से बिना किसी प्रतिफल (Consideration) के वर्ष के दौरान कुल 50,000 रू. से अधिक नगदी या चेक से राशि प्राप्त होती है तो उसे करयोग्य आय में शामिल किया जाएगा।

☞ निर्देशित रिश्तेदारों से आशय –

i. जीवन साथी
ii. स्वयं क भाई बहने,
iii. जीवन साथी क भाई बहने,
iv. स्वयं एवं जीवन साथी के पालकों के, भाई बहन
v. स्वयं के पैतृक वंशज
vi. जीवन साथी के पैतृक वंशज

उपरोक्त (ii) से (vi) के जीवन साथी

इस प्रकार व्यक्ति को निम्न 27 रिश्तेदारों में से किसी से नगदी, चेक या वस्तुएं गिफ्ट में मिलती हैं तो वे करमुक्त होगी। रिश्तेदार से आशय–

पत्नि, पुत्र–पुत्रवधु, पुत्री–दामाद,
माता–पिता, भाई–भाभी, बहन–बहनोई,
चाचा–चाची, ताउ–ताई, बुआ–फुफा,
मामा–मामी, मौसा–मौसी,
सास–ससुर, साला–सालाहेली, साली–साढू,

☞ उपरोक्त करयोग्य उपहार की श्रेणी में, निम्न शामिल नही होंगें :–

i. विवाह के दौरान प्राप्त राशि
ii. किसी वसीयत या पैतृक कारणों से प्राप्त राशि
iii. किसी भुगतान करने वाले की मृत्यु पर प्राप्त राशि
iv. स्थानीय निकाय, फाउंडेशन, यूनिवर्सिटी, कालेज, हास्पिटल या पब्लिक चेरिटेबल ट्रस्ट से प्राप्त राशि।

इस प्रकार धारा 56 (2) के तहत व्यक्ति या संयुक्त हिन्दू परिवार को नगदी या चेक से प्राप्त राशि 50,000 रू. से अधिक, जो कि निर्देशित रिश्तेदारों के अलावा किसी अन्य से प्राप्त होती है तो उसे सकल योग्य आय में जोड़ा जाता है। पूर्व में किसी भी व्यक्ति से अचल संपत्ति, आभूषण, चित्र मूर्तियॉ या अन्य किसी मूल्यवान वस्तुओं के रूप में प्राप्त गिफ्ट को आय में नही जोड़ा जाता है।

परन्तु दिनांक 01.10.2009 से गिफ्ट में प्राप्त वस्तुओं के मूल्य को प्राप्त करने वाले की आय में जोड़ा जाएगा।

सम्पत्ति का उपहार

सम्पत्ति का उपहार :– किसी व्यक्ति (Individual) या HDF द्वारा किसी अन्य व्यक्ति (person) से, 1.10.2009 को या उसके बाद, प्राप्त निम्न संपत्ति, प्राप्त करने वाले की आय में सम्मिलित की जायेगी :

(a) यदि कोई अचल संपत्ति (अर्थात् भूमि या भवन या दोनों) बिना प्रतिफल के प्राप्त होती है, जिसका स्टाप शुल्क मूल्य 59,000 रु. से अधिक है, तो करयोग्य राशि ऐसी संपत्ति का स्टाप शुल्क मूल्य होगी।

(b) यदि कोई अचल संपत्ति प्राप्त होती है जिसका प्रतिफल उसके स्टाम्प ड्यूटी मूल्य से 50,000 रु. अधिक की राशि से कम हो, तो करयोग्य राशि होगी।

स्टाम्प ड्यूटी मूल्य – संपत्ति का प्रतिफल,

नोट – यदि प्रतिफल का मूल्य तय करने वाले अनुबंध की तिथि और हस्तांतरण के पंजीकरण को तिथि एक न हो, तो अनुबंध की तिथि को (पंजीकरण की तिथि नहीं) उसका स्टाम्प ड्यूटी मूल्य लिया जायेगा बशर्ते के प्रतिफल या उसका कोई भाग अनुबंध की तिथि को या उससे पहले नकद के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के प्राप्त कर लिया गया हो।

(c) यदि कोई चल संपत्ति (अर्थात शेयर और प्रतिभूतियाँ, आभूशण, पुरातत्वीय संग्रहण, ड्राईंग, पेटिंग, मूर्तियाँ, कोई कलाकृति या बुलियन)

(i) बिना प्रतिफल के प्राप्तहोती हैं, जिनका कुल उचित बाजार मूल्य 50,000 रु. से अधिक है तो कर योग्य राशि उनके कुल उचित बाजार मूल्य होगी,

(ii) ऐसे प्रतिफल के लिए प्राप्त होती हैं जो उनके कुल उचित बाजार मूल्य से 50,000 रु. से अधिक की राशि से कम हैं, तो करयोग्य राशि होगी कुल उचित बाजार मूल्य– प्रतिफल की राशि

नोट – चल संपत्ति का उचित बाजार मूल्य (नियम UUA के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

इस तरह के नकद या संपत्ति के उपहार अन्य स्त्रोतों से आय के अंतर्गत करयोग्य होंगे, कुछ छटों को छोड़कर जो बाद दिये गए हैं।